संख्या-318/2026/I/1415154/2026/004/23-6099(099)/128/2025

प्रेषक,

शेषनाथ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 30 जुलाई, 2026

विषयः- वित्तीय वर्ष 2026-2027 में राज्य योजना (ग्रामीण) के अनुदान सं0-57/83 के अंतर्गत मुरादाबाद एवं मेरठ क्षेत्र के कतिपय जनपदों के कुल 11 सेतुओं के चालू कार्य हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियंता, (सेतु विंग), लो0नि0वि0, लखनऊ के कतिपय पत्रांक (तालिका के स्तम्भ-2 में अंकित) के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार राज्य योजना (सामान्य) के अनुदान सं0-57/83 के अंतर्गत मुरादाबाद एवं मेरठ क्षेत्र के कतिपय जनपदों के कुल 11 सेतुओं के चालू कार्य हेतु निम्नानुसार रू0 380.16 लाख (रूपये तीन करोड़ अस्सी लाख सोलह हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	कार्यालय मुख्य अभियन्ता (सेतु विंग) का पत्रांक	खण्ड/ जनपद का नाम	कार्य	स्वीकृति का शासनादेश संख्या	स्वीकृत / प्राविधिक/ बचत/ बचत के उपरान्त कार्य की लागत	अब तक आवंटन	अवशेष	आवंटन धनराशि		
								अनुदान सं0-57	अनुदान सं0-83	योग (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	23366/CE-SEB/RYB/MBD/2026-27 Dt- 30-06-2026	प्रा.ख. बिजनौर	जनपद बिजनौर में बिजनौर नूरपुर छजलैट मार्ग (राज्य मार्ग सं0 76) के किमी0-06 में स्थित स्लैब कल्वर्ट के चौड़ीकरण का कार्य।	124/2026/आई/1275386/2026/23-6099/118/2026-दिनांक-21-03-2026	62.89 62.89 0.12 62.77	0.20	62.57	46.82	12.61	59.43
2	तदैव	प्रा.ख. बिजनौर	जनपद बिजनौर में शेरकोट हरेवली मार्ग से कोपा मार्ग (अ०जि०मा०) पर 4X4 मी० स्पान की 5 दरों की बॉक्स कल्पर्ट एवं पहुंच मार्ग निर्माण का कार्य।	146/2026/आई/1279597/2026/23-6099/95/2026-दिनांक-25-03-2026	137.52 137.52 20.26 117.26	0.50	116.76	8.85	2.38	11.23
3	तदैव	प्रा.ख. रामपुर	अम्बरपुर से बेरखेड़ा के मध्य सैंजनी नदी पर 3x12 मी0 स्पान लघु सेतु एवं पहुँच मार्ग एवं अतिरिक्त पहुचं मार्ग का निर्माण कार्य।	122/2026/आई/1275379/2026/23-6099/115/2026-दिनांक-21-03-2026	560.97 560.97 0.37 560.60	16.71	543.89	31.12	8.38	39.50
4	तदैव	प्रा.ख. रामपुर	जनपद रामपुर में स्वार दढियाल काशीपुर (अ०जि०मा०) मार्ग से खांडीखेड़ा वाया मेवला फार्म के किमी0-2 में 2×6 मी0 स्पान का लघु सेतु एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य।	146/2026/आई/1279597/2026/23-6099/95/2026-दिनांक-25-03-2026	104.31 104.31 6.71 97.60	0.84	96.76	31.52	8.48	40.00

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5	तदैव	प्रा.ख. रामपुर	जनपद रामपुर में मुरसैना अजीमनगर मिलकखानम मार्ग से खिमौतिया बख्ती वाया अलीनगर सुमाली मार्ग के किमी० 1 में 1x6 मी0 स्पान बॉक्स कल्वर्ट का पुनः निर्माण का कार्य।	146/2026/आई/1279597/2026/23-6099/95/2026-दिनांक-25-03-2026	62.10 62.10 3.78 58.32	0.50	57.82	15.76	4.24	20.00
6	23365/CE-SEB/RYB/MRT/2026-27 Dt- 30-06-2026	नि.ख. मेरठ	जनपद मेरठ में जी०एम०बी०एस० रघुनाथपुर-मोदीनगर मार्ग पर स्थित पतला से खानपुर-सिवालखास-जानी-टीकरी रसूलपुर मोदीनगर मार्ग पर स्थित (अ०जि०मा०) के कि०मी० 12 में लघु सेतु का निर्माण कार्य।	316/2025/आई/1130328/2025/23-6099/180/2025-दिनांक-31-10-2025	107.89 107.89 0.16 107.73	13.95	93.78	15.76	4.24	20.00
7	तदैव	नि.ख. मेरठ	जनपद मेरठ में मेरठ आसिफाबाद मार्ग ग्राम अब्दुल्लापुर, राली चौहान रैसना से गेसूपुर जाने वाले मार्ग (आबू नाला प्रथम) पर पुल का नव निर्माण कार्य।	04/2026/आई/1193396/2026/23-6099/ 204/ 2025-दिनांक-02-01-2026	203.49 203.49 1.32 202.17	21.75	180.42	35.46	9.54	45.00
8	तदैव	नि.ख. मेरठ	जनपद मेरठ में मेरठ परीक्षितगढ आसिफाबाद मार्ग (प्रमुख जिला मार्ग) के कि०मी०-7 में बाक्स कल्वर्ट का निर्माण कार्य।	04/2026/आई/1193396/2026/23-6099/ 204/ 2025-दिनांक-02-01-2026	329.85 329.85 2.66 327.19	8.93	318.26	47.27	12.73	60.00
9	तदैव	नि.ख. मेरठ	जनपद मेरठ में पावलीखास द्वारिकापुरी सम्पर्क मार्ग के किमी0-1 में क्षतिग्रस्त हयूम पाईप के स्थान पर 3x3x3 स्पान का लघु सेतु का निर्माण कार्य।	121/2026/आई/1275375/2026/23-6099/102/2026-दिनांक-21-03-2026	143.78 143.78 0.24 143.54	1.75	141.79	23.64	6.36	30.00
10	तदैव	नि.ख.(खुर्जा) बुलन्दशहर	जनपद बुलन्दशहर में खुर्जा सिटी महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल के पास माइनर ब्रिज पर चौड़ीकरण हेतु आर०सी०सी० बाक्स लघु का निर्माण कार्य।	356/2025/आई/1150276/2025/23-6099/197/2025-दिनांक-21-11-2025	25.61 25.61 0.06 25.55	0.26	25.29	3.94	1.06	5.00
11	तदैव	नि.ख.(खुर्जा) बुलन्दशहर	जनपद बुलन्दशहर में पहासू सोमना (अ0जि0 मा0) के किमी0-09 में संकरे एवं क्षतिग्रस्त पुल के पुन: निर्माण का कार्य।	125/2026/आई/1275400/2026/23-6099/93/2026-दिनांक-21-03-2026	120.94 120.94 8.84 112.10	1.20	110.90	39.40	10.60	50.00
कुल योग								**299.54**	**80.62**	**380.16**

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) उक्त धनराशि केवल अंकित परियोजना पर ही मानक व विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

(2) राज्य योजनान्तर्गत निर्माणाधीन सेतु की गुणवत्ता एवं निर्माण की प्रगति की नियमित समीक्षा कर निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण किया जाय तथा समीक्षा रिपोर्ट नियमित रूप से उपलब्ध करायी जाय।

(3) उक्त सेतु के अंश, लोक निर्माण अंश में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष पृथक-पृथक वित्तीय प्रगति सहित वास्तविक भौतिक प्रगति तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं उनके स्थलीय फोटोग्राफ शासन को उपलब्ध कराया जाय।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

(4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 में दिये गये दिशा निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) उक्त तालिका अंकित मूल स्वीकृति के शासनादेशों में उल्लिखित शर्तें व प्रतिबंध आदि यथावत लागू रहेंगी।

(6) लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी.डी.ओ. कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अत: अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

(7) यदि उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव व सूचनाओं में कोई विसंगति/त्रुटि पायी जाती है, तो इसके लिए मुख्यालय/निगम/क्षेत्र के संबंधित अधिकारी पूर्णरूपेण उत्तरदायी होंगे। इसके अतिरिक्त मुख्यालय/निगम/क्षेत्र के संबंधित अधिकारियों द्वारा यदि किसी प्रस्ताव में कोई गलत सूचना देकर या छिपाकर अधिक धनराशि शासन से अवमुक्त करा ली जाती है अथवा व्यपगत धनराशि को चालू कार्य के रूप में स्वीकृत करा लिया जाता है, तो उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही के साथ ही यथापेक्षित धनराशि की वसूली भी सुनिश्चित की जायेगी।

(8) चालू कार्य की अवशेष धनराशि इस शर्त के अधीन है कि यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि अवमुक्त की जा रही धनराशि पूर्व में अवमुक्त नहीं हुई है। यदि कोई विसंगति/द्विरावृत्ति पायी जाती है तो शासन को तत्काल सूचित किया जायेगा। वर्तमान आबंटन के आधार पर लागत में सम्मिलित अनुरक्षण की धनराशि को व्यय नहीं किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 2,99,54,000 (रुपये दो करोड़ निन्यानबे लाख चौवन हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 057 लेखा शीर्षक 5054041010421 कृषि विपणन सुविधा हेतु ग्रामीण सेतु निर्माण कार्य (चालू योजना) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (2) रुपये 80,62,000 (रुपये अस्सी लाख बासठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 5054047891400 कृषि विपरण सुविधाओं हेतु ग्रामीण सेतुओं का निर्माण (चालू कार्य) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(शेषनाथ)
विशेष सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
(3) संबंधित मण्डलायुक्त/संबंधित जिलाधिकारी ।
(4) संबंधित मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग ।
(5) वित्त नियन्त्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
(6) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लिमिटेड, लखनऊ।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(7) संबंधित कोषाधिकारी।
(8) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8।
(9) राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2 ।
(10) नोडल अधिकारी, बजट अलाटमेंट, लोक निर्माण विभाग ।
(11) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शेषनाथ)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।